न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 12/2020 **दायरा दिनांक : 13.01.2020**

उनवान

1– पूरसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–

1/1– करण सिंह आत्मज पूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली पायरा

1/2– मानसिंह पुत्र पूरसिंह जाति राजपूत, निवासी सेमली पायरा

1/3– चांदकुंवर पुत्री पूरसिंह, पत्नी चन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली पायरा, जिला झालावाड

1/4– मोहन बाई ,पुत्री पूरसिंह पत्नी प्रेमसिंह राजपूत, निवासी गबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– गंगाराम आत्मज भूरूसिंह राजपूत, निवासी सेमली पायरा

2– दुलेसिंह पुत्र भैरू सिंह, जाति राजपूत (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–

2/1– सरदार सिंह पुत्र दुले सिंह

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

2/2– शोदान सिंह पुत्र दुले सिंह

2/3– रामकुंवर पुत्री दुलेसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण सेमली पायरा, जिला झालावाड

3– पर्वत सिंह पुत्र भैरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली पायरा, जिला झालावाड

4– सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एस.डी. विजय अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 1 की ओर से शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2016 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी जिससे वाद संख्या – 187/2008 वास्ते धारा –88, 53, 188 घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया गया ।

निर्णय दिनांक : 09.01.2023

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :–

2 अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी में वाद संख्या 187/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2016 का पेश किया गया ।

2 वादग्रस्त आराजी ग्राम सेमली पटवार हल्का पगारिया में आराजी जमाबंदी संख्या 42 नई व 38 पुरानी की खसरा नम्बर 306 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 309 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 312 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 316 रकबा 13 बिस्वा कुल 8 किता कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा लगानी 22.37 रूपये स्थित है।

3 विवादित आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 307 रकबा 2 बीघा का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो रहा है तथा सभी भाई अपने अपने हिस्से की आराजी पर पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज है।

4 वादग्रस्त आराजी जो पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में आयी है उस पर प्रतिवादी आये दिन मदाखलत व मजाहमत करता रहता है तथा जबरन अपनी ताकत के बल पर कब्जा करने पर उतारू हो रहा है। इस कारण वादीगण के

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे प्रतिवादी नं.1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

5 आये दिन वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य आराजी को लेकर झगड़ा फसाद होता है तथा लगान आदि जमा कराने में दिक्कत आती है। इस कारण वादीगण पारिवारिक बंटवारे के अनुसार प्रत्येक नम्बर में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का प्रत्येक के 1/4 – 1/4 हिस्से का बंटवारा कर आराजी वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 का खाता अलग किया जावे तथा खाता अलग अलग किया जाकर कागजों में रद्दोबदल किया जावे।

6 वाद हेतु कारण 15 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 को आराजी का बंटवारा कर खाता अलग अलग कराने को कहा तो प्रतिवादी नं. 1 ने इंकार कर दिया तथा वादीगण की आराजी में जबरन मदाखलत व मजाहमत कर कब्जा करने का प्रयास किया ।

7 प्रतिवादी नं. 2 लैण्ड होल्डर होने से उन्हें तकमीलन पार्टी बनाया गया है।

8 वादीगण ने यह प्रार्थना की कि खाता संख्या 42/38 ग्राम सेमली तहसील पचपहाड में विवादित आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 307 रकबा 2 बीघा का बंटवारा पारिवारिक बंटवारे के अनुसार तथा अन्य प्रत्येक नम्बर में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा कर प्रत्येक के 1/4– 1/4 हिस्सा कर खाता अलग अलग कर वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के अलग खाते दर्ज की जावे तथा कागजों में रद्दोबदल किया जावे। तथा प्रतिवादी नं. 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के पारिवारिक बंटवारे के

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अनुसार आयी आराजी पर जबरन मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और न ही अपने नौकर व एजेन्टों से करावें।

9 अधीनस्थ न्यायालय के तथ्य इस प्रकार है –

10 वादीगण व प्रतिवादी न. 1 आपस में सगे भाई है तथा एक ही परिवार के हैं। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के शामलाती खाते में ग्राम सेमली पटवार हल्का पगारिया में आराजी जमाबंदी संख्या 42 नई व 36 पुरानी की खसरा नम्बर 306 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 309 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 312 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 316 रकबा 13 बिस्वा कुल 8 किता कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा स्थित है।

11 वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 307 रकबा 2 बीघा का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो रहा है तथा सभी भाई अपने अपने हिस्से की आराजी पर पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी आये दिन मदाखलत व मजाहमत करता रहता है तथा जबरन अपनी ताकत के बल पर कब्जा करने पर उतारू हो रहा है। वादीगण व प्रतिवादीनं. 1 के मध्य आराजी को लेकर झगडा फसाद होता है। वादी ने वाद के अन्त में कथन किया कि डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं. 1 इस आशय की जारी की जावे कि खाता नम्बर 42/38 ग्राम सेमली, तहसील पचपहाड में वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 307 रकबा 2 बीघा का बंटवारा पारिवारिक बंटवारे के अनुसार तथा अन्य प्रत्येक नम्बर में से अच्छी में

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा कर प्रत्येक के 1/4, 1/4 हिस्सा कर खाता अलग अलग कर वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के अलग खाते दर्ज की जावे तथा कागजों में रद्दोबदल किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के पारिवारिक बंटवारे के अनुसार आयी आराजी पर जबरन मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और न ही अपने नौकर व एजेन्ट से करावें।

12 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए।

13 प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 ने वाद के पैरा नम्बर 1, 2, 3 स्वीकार 4, 5, 6 अस्वीकार पैरा नम्बर 7, 8, 9 कानूनी है पैरा नम्बर 10 उप चरण अ ब स द में चाही गयी राहत पाने की पात्रता वादीगण नहीं रखते हैं। विशेष कथन में निवेदन किया कि गंगाराम माधोसिंह निवासी गुढ़ा के यहां आज से 40 वर्ष पूर्व गोद चला गया था तथा वह वही रह रहा है। इसलिए वादीगण गंगाराम को वादग्रस्त आराजी में कोई हक या अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 306 व 307 का वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो गया था तथा यह दोनों ही खसरा नम्बर की आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में 40 वर्ष पूर्व आई थी तब से ही प्रतिवादी नम्बर 1 बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है।

14 दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई :–

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

15 (1) तनकी नम्बर 1 : आया वादीगण वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 42/38 ग्राम सेमली खसरा नम्बर 306 व 307 का पारिवारिक बंटवारे अनुसार तथा अन्य वादग्रस्त आराजी में 1/4 – 1/4 खाता अलग अलग दर्ज कराने की पात्रता रखते हैं।

16 (2) तनकी नम्बर 2: आया वादी नम्बर 1 माधोसिंह के यहां गोद चले जाने से उसका वादग्रस्त आराजी में कोई हक या अधिकार नहीं है।

17 तनकी नम्बर 3 : दादरसी

18 उभयपक्ष से साक्ष्य तलब की गई। वादी ने साक्ष्य में स्वयं का तथा गवाह जुझार सिंह व माधो सिंह का शपथ पत्र पेश किया। प्रकरण जिरह में विचाराधीन था कि प्रतिवादी मय वकील प्रतिवादी दिनांक 13.05.2015 को अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 42 किता 8 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा व खाता संख्या 46 किता 12 रकबा 12.05 बीघा वाके ग्राम सेमली, तहसील पचपहाड़ पेश की इसके अतिरिक्त और कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

19 वादीगण के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने जवाब दावे में स्वयं ने स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 306 व 307 का वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य पारिवारिक बंटवारा होना स्वीकार किया हैं। इसलिए बंटवारे के अनुसार आराजी का बंटवारा किया जावे तथा शेष आराजी का 1/4 – 1/4 हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी को दखते हुए बंटवारा किया जाकर खाता अलग कायम किया जावे।

डॉ0 आनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

20 पत्रावली एवं सलंग्न रेकार्ड तथा प्रस्तुत शपथ पत्रों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। सलंग्न रेकार्ड एवं बयानों के आधार पर तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है–

21 तनकी नम्बर 1– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इसे सिद्ध करने हेतु नकल जमाबंदी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 42 किता 8 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सेमली पेश की जो पूरसिंह, परवत सिंह, गंगाराम, दुलेसिंह पिता भैरूसिंह राज हि.ब.सा. देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादीगण ने अपने शपथ पत्र में खसरा नम्बर 306 व 307 का पारिवारिक बंटवारा आपसी सहमति से होना तथा इसका समर्थन गवाह माधोसिंह आत्मज बालू सिंह व जुझार सिंह आत्मज किशनसिंह द्वारा अपने शपथ पत्रों में किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 306 व 307 का वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य पारिवारिक बंटवारा हुआ है तथा शेष आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 – 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नम्बर 1 किया जाता है।

22 तनकी नम्बर 2 – इस तनकी एक के प्रकाश में इस तनकी का विवेचन की आवश्यकता नहीं है।

23 तनकी नम्बर 3 –दादरसी

24 अतः तनकी वाईज विवेचन से वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

25 अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 306 व 307 का बंटवारा पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य तथा नकल जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 खाता संख्या 42 वाके ग्राम सेमली, तहसील पचपहाड़ की शेष आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा किये जाने की आज्ञा दी जाती है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत नहीं करें ना अन्य से करावें। तहसील पचपहाड़ से राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 के तहत बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जावे, बंटवारा प्रस्ताव में वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से में अपने वाली आराजी पर आने–जाने के रास्ते को पृथक से दर्शाया जावे। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

26 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि–

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

27 अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 53, 88 राज. टी. ए. का कानूनन प्रथम दृष्टया खारिज होते हुए भी सरसरी तौर पर डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है।

28 अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद गंगाराम, दुलेसिंह व पर्वतसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसका जवाब दिनांक 13.07.2009 को प्रस्तुत कर दिया था और उक्त जवाब में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया था कि गंगाराम 40 वर्ष पूर्व गुढा निवासी माधोसिंह के यहां गोद चला गया और गोद चले जाने से उसकी वल्दियत बदल चुकी है और गंगाराम पुत्र माधोसिंह होने से भैरू सिंह के वारिसान के रूप में उसका

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार शेष नहीं रहा था और इसलिए गंगाराम भैरू सिंह की सम्पत्ति व आराजी में किसी प्रकार का कोई हक या हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए दावा प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी त्रुटि की है।

29 अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू पर ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 13.07.2009 को प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त दिनांक 24.08.2009 को वाद में तनकी कायम करते हुए साक्ष्य वादी हेतु तारीख नियत की गई थी, जो निरन्तर निर्णय होने तक साक्ष्य वादी में ही चलती रही, किन्तु साक्ष्य वादी जिरह हेतु उपस्थित ही नहीं हुई और बिना जिरह किये हुए ऐसे गवाह का बयान साक्ष्य में कानूनन ग्राह्य ही नहीं है और जब गवाह जिरह हेतु उपस्थित ही नहीं है तो कानूनन न तो जिरह बन्द की जा सकती है और न ही एकपक्षीय कार्यवाही ही की जा सकती है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मनमाने तौर पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ले ली और बिना किसी साक्ष्य वादी के दावा वादी मनमाने तौर पर डिक्री फरमा दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

30 अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि गोद का प्रश्न साक्ष्य के उपरान्त ही तय किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और न ही प्रतिवादी का जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा देखा गया और न ही किसी भी तनकी को साक्ष्य द्वारा वादी ने प्रमाणित किया है ऐसी सूरत में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है।

डॉ0 आनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

31 अधीनस्थ न्यायालय ने पूरसिंह के जवाब के बाद प्रतिवादी अपीलांट को उनकी मृत्यु उपरान्त कोई सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया और जो कानूनन न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के अनुसार प्रतिवादीगण को पूर सिंह के वारिसान के रूप में सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था और इसके बिना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति नहीं आ सकती थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य के उन शपथ पत्रों को आधार मान लिया, जो साक्ष्य के लिय जिरह हेतु उपस्थित ही नहीं हुए । ऐसी साक्ष्य को आधार मानकर दावा किसी भी प्रकार से काननून डिक्री नहीं किया जा सकता था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाते हुए बिना कोई साक्ष्य के दावा वादी डिक्री करने में त्रुटि की है।

32 भूरूसिंह के चार पुत्र थे। एक पुत्र गंगाराम 40 वर्ष पूर्व माधो सिंह, गुढ़ा निवासी के यहां गोद चले जाने से उसका भूरूसिंह की आराजी व सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार नहीं रहा था। क्योंकि उसकी वल्दियत गोद जाने के बाद बदल गई थी और वह दत्तक पुत्र के रूप में दत्तक पिता की सम्पत्ति में अपना हक प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसको भूरू सिंह की सम्पत्ति में हक व हिस्सा प्राप्त करने या दावा पेश करने का अधिकार ही नही था और इस त्रुटि के आधार पर दावा वादी प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय था। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री करते हुए निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

33 अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है वह एकपक्षीय होने से भी त्रुटिपूर्ण है और काबिले निरस्तनीय है।

34 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त थे, जिन्होंने हर पेशी पर हाजिर होने से प्रतिवादीगण अपीलांट्स को मना कर दिया था, और बताया था कि साक्ष्य प्रतिवादी हेतु या अन्य आवश्यकता होने पर सूचित कर देंगे, किन्तु तदुपरान्त वकील सा. की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, तथा निर्णय व डिक्री (प्रारम्भिक) पारित होने की भी कोई सूचना वकील सा0 से प्राप्त नहीं हुई, तथा दिनांक 12.05.2016 को वकील सा0 से मुकदमें बाबत जानकारी करने हेतु सम्पर्क किया तो उन्होंने दिनांक 28.01.2015 को वाद में प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री की नकल हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया और दिनांक 21.05.2016 को नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब पैसों का इन्तजाम कर आज कोटा आकर अपील मा0 न्यायालय में पेश की। जो जानकारी की तिथि दिनांक 21.05.2016 से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है तथा निर्णय व डिक्री की तिथी 28.01.2015 से जानकारी की तिथि दिनांक 12.05.2016 तक तथा नकल प्राप्ति व पैसों के इन्तजाम में लगा समय कन्डोन किये जाने योग्य है।

35 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री एकपक्षीय दिनांक 28.01.2016 निरस्त की जावे ।

36 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.05.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

37 पत्रावली पूर्व में दिनांक 25.02.2019 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी, जिसके विरूद्ध दिनांक 04.04.2019 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो दिनांक 13.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। नोटिस जारी किये गये । दिनांक 13.01.2020 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

38 **अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई।**

39 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

40 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

41 अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

42 अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज.टी.ए. पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी कुल 8 किता की 8 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 306 की 4 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 307 की 2 बीघा का मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो रहा है मुताबिक काबिज काश्त है। आराजी शामिल होने से आये दिन लडाई झगडा होता रहा है। अतः आराजी अलग अलग की जाकर बंटवारा किया जावे। प्रकरण दर्ज कर अपीलांट प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादी नं. 1 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ और विशेष कथन में निवेदन किया कि गंगाराम माधोसिंह नाम के व्यक्ति निवासी गुढ़ा के यहां 40 वर्ष पूर्व वह गोंद चला गया है। गंगाराम का आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। दावा जवाबदावा के आधार पर तीन तनकी कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच में शपथ पत्र पेश किए गए हैं तथा प्रतिवादीगण दिनांक 13.05.2015 को अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वादीगण रेस्पोडेंट के द्वारा खाता संख्या 42 की 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी के मामले में जमाबंदी संवत 2061–2064 एवं खाता संख्या 46 के मामले में 12 बीघा 5 बिस्वा बाबत जमाबंदी पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं साक्ष्य का पूर्ण विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित कर रेस्पोडेंट वादी का वाद दिनांक 28.01.2016 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर नियमानुसार फाईनल डिक्री पारित कर दी। जिसमें किसी प्रकार की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज होने योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे ।

43 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तकों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

44 अपील की बिन्दु संख्या 3 में वर्णित है कि गंगाराम 40 वर्ष पूर्व गुढा, निवासी माधोसिंह के यहां गोद चला गया है, अपीलांट द्वारा गोद जाने के सम्बन्ध में कोई भी ठोस दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । अतः अपील का यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

45 अपील की बिन्दु संख्या 4 में वर्णित है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 13.07.2009 को प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त दिनांक 24.06.2009 को वाद में तनकी कायम करते हुए साक्ष्य वादी हेतु तारीख नियत की गई थी जो निरन्तर निर्णय होने तक साक्ष्य वादी में ही चलती रही। परन्तु साक्ष्य वादी जिरह हेतु अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुई और बिना जिरह किये हुए ऐसे गवाह का बयान साक्ष्य में कानूनन ग्राह्य ही नहीं है और जब गवाह जिरह हेतु उपस्थित ही नहीं है तो कानूनन न तो जिरह बन्द की जा सकती है और न ही एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील का यह बिन्दु स्वीकार किया जाता है।

46 अपील की बिन्दु संख्या 5 में वर्णित है कि गोद का प्रश्न साक्ष्य के उपरान्त ही तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है और न ही प्रतिवादी का जवाब दावा देखा गया और न ही किसी भी तनकी को साक्ष्य द्वारा वादी ने प्रमाणित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः यह बिन्दु भी आंशिक स्वीकार किया जाता है।

47 अपील की बिन्दु संख्या 6 में वर्णित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर सिंह के जवाब के बाद प्रतिवादी अपीलांट की मृत्यु उपरान्त कोई सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः यह बिन्दु भी स्वीकार किया जाता है।

48 अपील की बिन्दु संख्या 7 में वर्णित है कि भूरू सिंह के चार पुत्र थे। गंगाराम 40 वर्ष पूर्व माधो सिंह, गुढ़ा निवासी के यहां गोद चले जाने से उसका भूरू सिंह की आराजी व सम्पत्ति में किी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रह जाता है। क्योंकि उसकी वल्दियत गोद जाने के बाद बदल गई थी और वह दत्तक पुत्र हाने से दत्तक पिता की सम्पत्ति में उसका हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः यह बिन्दु भी स्वीकार किया जाता है।

49 अपील की बिन्दु संख्या 8 में वर्णित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः यह बिन्दु भी स्वीकार किया जाता है।

50 **हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रतिवादीगण को जवाब का अवसर बन्द किये बिना ही दिनांक 21.11.2011 को साक्ष्य वादी पर पत्रावली आ गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट दिनांक 04.02.2013 में पुनः पत्रावली जवाब पर आ गई। अधीनस्थ न्यायालय में**

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

आर्डर शीट में साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बाबत दर्ज नहीं है। पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः हम अपील को पुनः साक्ष्य, सुनवायी एवं गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

51 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.03.2023 को उपस्थित होवें।

52 निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/1/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा